न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक अपील 703—पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 10—12—2015 पारित द्वारा अपर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद प्रकरण कमांक 68/अपील/2011—12

1— दिलीप कुमार आ0 स्व. रघुनंदन चौधरी
2— पन्ना चौधरी आ0 स्व. रघुनंदन चौधरी
निवासीगण चंद्रपुरा
तहसील व जिला होशंगबाद ....अपीलार्थीगण

विरूद्ध

म0प्र0 राज्य द्वारा कलेक्टर, होशंगाबाद ....प्रत्यर्थी

श्री संदीप दुबे, अभिभाषक, अपीलार्थी

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 8/11/16 को पारित)

अपीलार्थीगण द्वारा यह द्वितीय म.प्र. भू—राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 44 के अंतर्गत अपर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 10—12—2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम चंद्रपुरा तहसील होशंगाबाद स्थित सर्वे कमांक 82/1 रकबा 0.72 एकड़ एवं सर्वे कमांक 87 रकबा 0.95 एकड़ कुल रकबा 1.67 एकड़ म0प्र0 शासन की भूमि थी, जिसका पट्टा स्व. रघुनंदन चौधरी को दिनांक 21—4—72 को दिया गया तत्पश्चात दिनांक 22—6—92 को तहसीलदार, होशंगाबाद द्वारा उन्हें भूमिस्वामी अधिकार प्रदान किये गये । रघुनंदन चौधरी की मृत्यु उपरांत उपरोक्त भूमि उसकी पत्नी शांती बाई एवं पुत्र दिलीप कुमार के नाम दर्ज किये गये, और शांतीबाई की मृत्यु उपरांत अपीलार्थीगण का नाम प्रश्नाधीन भूमि पर दर्ज हुआ । तदोपरांत तहसील

न्यायालय द्वारा यह पाते हुए कि प्रश्नाधीन भूमि का स्व. रघुनंदन चौधरी को दिये गये पट्टे पर कमांक अंकित नहीं है, प्रश्नाधीन भूमि शासकीय दर्ज करने का प्रस्ताव कलेक्टर, होशंगाबाद को भेजा गया । कलेक्टर द्वारा प्रकरण स्वप्रेरणा से लिया जाकर दिनांक 25–9–2007 को आदेश पारित कर पट्टा अवैधानिक होने से निरस्त करते हुए शासकीय मद में दर्ज करने के आदेश दिये गये । कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अपर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 11–12–2008 को आदेश पारित कर अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण कलेक्टर, होशंगाबाद को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देकर पुनः जांच करते हुए विधिसंगत आदेश पारित करें । अपर आयुक्त के आदेश के पालन में कलेक्टर द्वारा कार्यवाही की जाकर दिनांक 2–5–2011 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि शासकीय मद में दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये । कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगबाद के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 10–12–2015 को आदेश पारित कर कलेक्टर के आदेश को यथावत रखा जाकर अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया प्रश्नाधीन भूमि का पट्टा अपीलार्थीगण के पिता स्व. रघुनंदन चौधरी को वर्ष 1972 में दिया गया था, और वर्ष 1992 में उसे भूमिस्वामी घोषित किया गया है, और रघुनंदन चौधरी की मृत्यु होने के उपरांत अपीलार्थीगण का नाम दर्ज हुआ है । इस आधार पर कहा गया कि प्रश्नाधीन भूमि शासकीय नहीं है, फिर भी अपीलार्थीगण का नामांतरण निरस्त करने में कलेक्टर द्वारा विधि एवं न्याय की गंभीर भूल की गई है, और उपरोक्त वैधानिक स्थिति पर बिना विचार किये अपर आयुक्त द्वारा कलेक्टर के आदेश की पुष्टि करने में त्रुटि की गई है । यह भी कहा गया कि प्रश्नाधीन भूमि पर अपीलार्थीगण को भूमिस्वामी स्वत्व प्राप्त होने से प्रकरण स्वप्रेरणा से निगरानी में लेकर अपीलार्थीगण के पक्ष में हुए नामांतरण को निरस्त नहीं किया जा सकता है । तर्क में यह भी कहा गया कि शासन के परिपत्र के अनुसार प्रश्नाधीन भूमि पर अपीलार्थीगण के पिता स्व. रघुनंदन चौधरी को भूमिस्वामी घोषित किया गया है, ऐसी स्थिति में प्रश्नाधीन भूमि शासकीय घोषित नहीं की जा सकती है । उनके

द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाकर अपील स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ प्रत्यर्थी पूर्व से एकपक्षीय है ।

5/ अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । कलेक्टर के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि व्यवहार न्यायालय में अपीलार्थीगण एवं अन्य के मध्य राजीनामा हुआ है, और राजीनामा के आधार पर डिक्री जारी की गई है, जिसमें शासन पक्षकार नहीं है, इसलिए उक्त डिक्री राज्य शासन पर बंधनकारी नहीं है । कलेक्टर के प्रकरण को देखने से यह भी स्पष्ट है कि कलेक्टर द्वारा विस्तृत जॉच कराई गई है, और जॉच में तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 22–6–1992 में अवैधानिकता एवं अनियमितता पाई गई है । जॉच में प्रश्नाधीन पट्टा भी फर्जी पाया गया है, और जिस समय स्व. रघुनंदन चौधरी को प्रश्नाधीन भूमि का पट्टा दिया गया था, उस समय वह उसके लिए पात्र भी नहीं था । अतः कलेक्टर द्वारा आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि शासकीय घोषित करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है, और कलेक्टर के आदेश की पुष्टि करने में अपर आयुक्त द्वारा किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है । इस प्रकार दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश विधिसंगत होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं हैं ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–12–2015 स्थिर रखा जाता है । अपील निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर